

तार : 'फूडकॉर्प'
Gram : 'FOODCORP'
फैक्स नं. : एचएफसीआई एनडी
०६६९९९२३४९३२४९
००६९९९२३४९३९०३
Fax No. : HFCI ND
00911123413241
00911123413103

भारतीय
खाद्य
निगम



FOOD
CORPORATION
OF INDIA

मुख्यालय
नई दिल्ली
Head Quarters
New Delhi

१६-२०, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली-११०००१, दूरभाष-२३४९३८७९-२३४९४८७२-२३४९४८८०
16-20, BARAKHAMBA LANE, NEW DELHI-110001, PHONE : 23413871-23414872-23414880

सं. 9-2/2014 – इंटीग्रेशन-II/पार्ट-II

दिनांक: 29.12.2014

1. समस्त कार्यकारी निदेशक (मुख्यालय)|
2. समस्त कार्यकारी निदेशक (अंचल)|
3. समस्त महा प्रबंधक (क्षेत्र)|
4. निदेशक, खाद्य सुरक्षा संस्थान, गुडगाँव|
5. संपर्क अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय |

विषय : निगम में कार्यरत प्रबंधक (लेखा) की वर्ष 2009 में पेनलबद्ध अधिकारियों की संकलित अनंतिम अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची का परिचालन |

संदर्भ: पत्र संख्या 9-2/2014- इंटीग्रेशन-II/पार्ट-I/दिनांक: 18.02.2014

महोदय,

कृपया, मुख्यालय द्वारा जारी उपरोक्त पत्र का संदर्भ ग्रहण करें | उक्त पत्र के द्वारा प्रबंधक (लेखा) की वर्ष 2008 में पेनलबद्ध अधिकारियों की अनंतिम अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची जारी की गई थी| इसके उपरांत वर्ष 2009 में पेनलबद्ध अधिकारियों की संकलित अनंतिम अखिल भारतीय वरिष्ठता सूची इस पत्र के साथ सलग्न है |

यह वरिष्ठता सूची सम्बंधित अधिकारियों के मध्य परिचालित की जाए तथा उन्होंने इस सूची का अवलोकन कर लिया है, इसकी पुष्टि के रूप उनसे हस्ताक्षर करा लिया जाए | अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस पत्र के जारी होने के 10 (दस) दिनों के अंदर त्रुटियों / भूलों को इंगित करते हुए अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को अपनी टिप्पणियों के साथ मुख्यालय को अग्रेषित कर दें | जो अभ्यावेदन अधिकारियों द्वारा उचित माध्यम से ना भेजकर सीधे भेजे जाएंगे, उन पर विचार नहीं किया जाएगा |

इस वरिष्ठता सूची को निगम के वेबसाइट www.fciweb.nic.in पर भी देखा जा सकता है |

कृपया इस पत्र की पावती दें |

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय

sd/-

(राजेश चौधरी)

उप महा प्रबंधक (आर. पी. आई.)

प्रतिलिपि:

1. सहायक महाप्रबंधक (स्था-I), भारतीय खाद्य निगम, मुख्यालय, नई दिल्ली- वरिष्ठता सूची को वेबसाइट से डाउनलोड कर इसे मुख्यालय में पदस्थापित सम्बंधित अधिकारियों के मध्य परिचालित करें|
2. सहायक महाप्रबंधक (प्रशिक्षण): सूचनार्थ प्रेषित |

उप महा प्रबंधक (आर. पी. आई.)